रामप्यारी बनाम श्रीमति सरिता मल्होत्रा उपखण्ड अधिकारी लालसोट

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

मु0न0 26 / 2021

28.10.2021 अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया श्री मनोहर मुदगल को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी हो। उप जिला कलक्टर लालसोट से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 21.01.2022 को पेश हो। तहरीर 1645 2.12.21

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

21/1/22 आज पीठासीन अधिकारी महादय अवकाश पर अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन में पत्रावली नियत दिनांक 24-1-22 को पेश हो
अप्रार्थी क्र 2 लगा 4 की ओर से अभिषेक तिवाड़ी एडवो. वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रा.पत्र पेश किया गया।

24/1/22 आज बार द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखने के कारण गत आदेशो की पालना मे पत्रावली नियत दिनांक 28-1-22 को पेश हो।
SDO लालसोट से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त, शामिल मिसल किया गया।

28-1-22 अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 लगा 4 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी क्र 2 लगा 4 द्वारा निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को स्वीकार किये जाने एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन सुनवाई प्रकरण रामप्यारी बनाम प्रभूलाल को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

कोई आपत्ति नहीं [illegible]

— क्रमशः

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 लगा. 5 के उक्त कथन से सहमत होकर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी लालसोट की रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को स्वीकार किये जाने में अधिवक्तागण उभयपक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया रामप्यारी पत्नि नाथुलाल जाति माली निवासी कस्बा लालसोट जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र स्थानांतरण में वर्णित प्रकरण उनवानी रामप्यारी बनाम प्रभुलाल आदि दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में स्थानांतरित किया जाता है उपखण्ड अधिकारी लालसोट उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में भिजवाना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकार दिनांक 11-2-2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड अधिकारी दौसा प्रकरण की सुनवाई कर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी लालसोट एवं दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्टि रिकार्ड में दाखिल रिकार्ड की जावे। निर्णय आज दिनांक 28-1-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति. [signature]	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official